अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

# पत्रिका

नवम्बर 2004 केवल सदस्यों के लिए मूल्य : 4 रुपये

# कामकाजी महिलाओं की मांगों को लेकर राष्ट्रीय कन्वेंशन

अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीटू) की नासिक में 16 जुलाई 2004 को बैठक हुई जिसमें कामकाजी महिलाओं की मांगों को लेकर 17 नवंबर 2004 को दिल्ली में एक कन्वेंशन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस कन्वेंशन से पहले मुंबई में हुई कामकाजी महिलाओं की 7वीं कान्फ्रेंस में पारित मांगपत्र पर, खास तौर से समान वेतन, मातृत्व लाभ और क्रेच, उत्पीड़न के खिलाफ कानून, गृह आधारित मजदूरों के लिए व्यापक कानून और रात की पाली में काम पर प्रतिबंध की बहाली जैसी प्रमुख मांगों को लेकर व्यापक अभियान चलाया जाएगा।

राज्य स्तरीय अभियान में पर्चों का वितरण, समूह, गेठ और लंच आवर मीटिंगें, जिला व राज्य कन्वेंशनें तथा संगठित व असंगठित दोनों ही के सभी क्षेत्रों से कामकाजी महिलाओं से बड़ी संख्या में हस्ताक्षर एकत्र करना शामिल है।

ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू (सीटू) के कामकाज को मजबूत करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन 18-19 नवंबर '04 को दिल्ली में सीटू मुख्यालय बी टी आर भवन में आयोजित की जाएगी। सभी ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू सदस्य और राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू की चुनी हुई कार्यकर्ता इस कार्यशाला में भाग लेंगी।

ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू ने गृह आधारित मजदूरों को संगठित करने के अपने निर्णय को भी दोहराया। यह भी नोट किया गया कि कुछ राज्यों में कामकाजी महिला समन्वय समितियों ने गृह आधारित मजदूरों के सर्वेक्षण किंए हैं। यह तय किया गया कि सभी राज्य समन्वय समितियां मुद्दे पर चर्चा करें और गृह आधारित मजदूरों को, खास तौर से विनिर्माण गतिविधियों में, संगठित करने की प्राथमिकताओं पर निर्णय लें।

ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू ने सिफारिश की कि कामकाजी महिला कार्यकर्ताओं के लिए अलग से राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन कक्षाएं लगाई जाएं।

नासिक में 17-20 जुलाई 2004 को हुई सीटू जनरल काउंसिल मीटिंग ने ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू (सीटू) के निर्णयों का अनुमोदन किया और सभी राज्य कमेटियों और सीटू की औद्योगिक फेडरेशनों से इन कामों को पूरा करने का आह्वान किया और नवंबर में होने वाली नेशनल कन्वेंशन समेत कामकाजी महिलाओं के मुद्दों पर अभियान को शानदार सफलता दिलाने के लिए सभी कदम उठाने का खास तौर से आह्वान किया गया। □

# जनता से किए वायदों को पूरा किया जाए

यह बात स्पष्ट है कि यू पी ए सरकार ने हाल ही के चुनाव में दिए गए जनादेश को ठीक से समझ नहीं पाई है। जब सरकार अपने कामकाज में व्यस्त हो रही है तो शासक गठबंधन के कुछ नेता बाजार को ''सुधार प्रक्रिया'' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में आश्वासन दे रहे हैं। वित्तमंत्री शेयर बाजार को उनके हितों की रक्षा के बारे में ज्यादा चिंतित नजर आते हैं बजाए कि वे राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन सी एम पी) में किए गए जनता के प्रति वायदों को पूरा करने की चिंता करें। चिदांबरम द्वारा प्रस्तुत बजट में एन डी ए सरकार द्वारा अपनाई गई वैश्वीकरण की नीतियों से अलग हटने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की गई है।

बजट में निस्संदेह कुछ अच्छी बातें भी हैं। जहां संसद के अगले सत्र में 'रोजगार गारंटी कानून' लाने और तब तक 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम' के लिए आबंटन बढ़ाने की बातें स्वागत योग्य हैं, वहीं बजट में भूमि सुधारों के बारे में कोई बात नहीं की गई है जोकि वास्तविक ग्रामीण विकास की कुंजी है। सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा और बीमार सार्वजनिक उद्योग की इकाइयों को फिर से जीवनदान देने के लिए धन का आवंटन अच्छी बातें हैं।

साथ ही बजट में, खास तौर से मजदूर वर्ग और आज जनता के संबंध में कई प्रतिगामी प्रस्ताव भी दिए गए हैं। सरकार कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर को और घटाने तथा लघु बचतों पर ब्याज दर न बढ़ाने पर अड़ी हुई है। वित्त मंत्री ने ट्रेड यूनियनों, खासतौर से सीटू के ठोस प्रस्तावों की किस तरह कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर 12 प्रतिशत बहाल की जा सकती है, पर विचार करने से इंकार कर दिया है सरकार नागरिक उड्डयन, बीमा और टेलीकॉम क्षेत्र में एफ डी आई को बढ़ाने जा रही है। यह दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डों के निजीकरण पर तुली हुई है और साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किए गए वायदों पर नहीं चल रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। बजट में लघु उद्योग क्षेत्र में 85 आइटमों को आरक्षण से मुक्त करने का प्रस्ताव है जिससे बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निगमों के लिए दरवाजे खुल जाएंगे जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी।

एन डी ए और इसके सहयोग दलों की हार और असम, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में कांग्रेस को हुए नुकसान का कारण जनता द्वारा नव उदारीकरण की नीतियों को ठुकराना और भाजपा के साम्प्रदायिक एजेंडा का विरोध है। यदि शासक लोग वास्तविकता को भूल जाते हैं और निगमों के दबाव के आगे झुकना पसंद करते हैं तो जनता का दायित्व उन्हें होश में लाना है। सी एम पी में वामपंथी पार्टियों के दबाव में कई जन पक्षीय वायदे शामिल किए गए हैं। मजदूर वर्ग का यह दायित्व बनता है कि वह इन जनपक्षीय वायदों को पूरा करवाना सुनश्चित करने के लिए जनता को लामबंद करने।

जैसा कि सीटू की जनरल काउंसिल ने ठीक ही कहा है कि निचले स्तर पर मजदूर वर्ग की लामबंदी ही है जो वामपंथ के नीतिगत मुद्दों पर हस्तक्षेप को अधिक प्रभावशाली बना सकती है। ऐसा हस्तक्षेप धर्मनिरपेक्ष सरकार को कायम रखने और साम्प्रदायिक ताकतों को अलग-थलग करने के लिए आवश्यक है। सीटू की जनरल काउंसिल ने मसले को उठाने का निर्णय लिया है। हम देशभर की कामकाजी महिलाओं का इसमें भारी संख्या में शामिल होने का आह्वान करते हैं। □

## दिल्ली में आंगनवाड़ी कर्मचारी आंदोलन की राह पर

देश की राजधानी में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की स्थिति देश के दूसरे हिस्सों से अलग नहीं है। पूरक पोषण के रूप में सामग्री की आपूर्ति न करना या घटिया सामग्री की आपूर्ति करना, बकायों का भुगतान न करना केंद्रों के लिए किराये का भुगतान न करना, सुपरवाइजरों और सी डी पी ओज द्वारा उत्पीड़न आदि आम बात हैं। सीटू राज्य कमेटी ने आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को संगठित करने और उनके मुद्दों को उठाने का निर्णय लिया है। राज्य के विभिन्न भागों जैसे कालकाजी, सावन पार्क आदि में आंगनवाड़ी वर्करों तथा हेल्परों की मीटिंगें आयोजित की गई हैं। मीटिंगों का आयोजन सीटू राज्य कमेटी सदस्य कमला ने किया। इंदिरानी मजूमदार और ए आर सिंधु, कोषाध्यक्ष ए आई एफ ए डब्ल्यू एच ने भी कुछ मीटिंगों में शिरकत की। सीटू ने एक पर्चा छाप कर आंगनवाड़ी कर्मचारियों से सीटू और ए आई एफ ए डब्ल्यू एच के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कर्मचारी आंदोलन को मजबूत करने की अपील की। दिल्ली में मुद्दों को हाइलाइट करते हुए ज्ञापन पर हस्ताक्षर एकत्र किए जा रहे हैं। दिल्ली की मुख्य मंत्री से जुलाई में मिलने और ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है। □

# पंजाब में धरना

पूरे पंजाब से लगभग 8000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने 12 अक्टूबर 2004 को चंडीगढ़ में सामाजिक सुरक्षा, महिला व बाल विकास निदेशक के कार्यालय पर धरना दिया। उन्होंने अपनी काफी लंबे समय से चली आ रही मांगों के प्रति पंजाब सरकार के निष्ठुर रुख के खिलाफ नारेबाजी की। 8 मार्च 2003 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कर्मचारियों को 200 रु० का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। किंतु सरकार ने अपने इस वायदे को अभी तक पूरा नहीं किया है। आंगनवाड़ी जिन दूसरी मांगों को माने जाने की मांग कर रहे हैं वे हैं: आई सी डी एस का नियमितीकरण (रेगूलराइजेशन), नियमितीकरण के लंबित रहते हुए मानदेय में वृद्धि, सरकार के आंगनवाड़ी केंद्रों को पंचायतों को सौंपने के निर्णय की वापसी, तथा उन्हें सामाजिक सलाहकार बोर्डों तथा बालकल्याण परिषदों के क्षेत्र से बाहर लाना, अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त वेतन, राज्य सरकारी कर्मचारियों के समान प्रसूती छुट्टियां। हरगोबिंद कौर, अध्यक्ष आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। उन्होंने ही धरने की अध्यक्षता की।

नीलिमा मैत्रा, अध्यक्ष अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका फेडरेशन ने धरने को संबोधित किया और आंगनवाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब को राज्य की आंगनवाड़ी कर्मचारियों की सही मांगों पर निरंतर संघर्ष चलाने के लिए बधाई दी। उन्होंने सरकार के मजदूर विरोधी-आंगनवाड़ी कर्मचारी विरोधी रुख की कड़ी आलोचना की। उन्होंने फेडरेशन की ओर से उनके संघर्ष की पूरी मदद करने का वायदा किया।

हरजीत कौर, जनरल सेक्रेट्री, ऊषा रानी, वित्त सचिव, सुभाष रानी और बलविंदर कौर, यूनियन की वरिष्ठ उपाध्यक्षाओं तथा दूसरे संगठनों के नेताओं और पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, हरियाणा की जनरल सेक्रेट्री जगमति मलिक ने धरने का स्वागत किया। हरगोबिंद कौर ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार ने उनकी मांगों की उपेक्षा जारी रखी तो संघर्ष तेज किया जाएगा। नेताओं के भाषणों के बाद आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने विधान सभा के पास 'मटका चौक' पर एक भारी जुलूस निकाला, जहां इसे पुलिस ने रोक लिया। मुख्य मंत्री के ओ एस डी ने ज्ञापन लिया और आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर बातचीत के लिए मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हेतु मीटिंग की व्यवस्था की जाएगी। □

# आंगनवाड़ी कर्मचारियों का सफल संघर्ष
# कर्नाटक सरकार ने अपने आदेश वापस लिए

कर्नाटक में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के संयुक्त संघर्ष ने राज्य सरकार को अपने आंगनवाड़ी केंद्रों को ग्राम पंचायतों को सौंपने के आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया है। सीटू से संबद्ध कर्नाटक राज्य आंगनवाड़ी नौकरारा संघ के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने राज्य सरकार के आंगनवाड़ी केंद्रों को ग्राम पंचायतों को सौंपने के निर्णय के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई।

एस एम कृष्णा के नेतृत्व में पूर्व कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण

विकास के लिए एक कार्य दल गठित किया था। कार्य दल ने अपनी सिफारिशों में विश्व बैंक के निर्देशों की नकल की। साम्राज्यवाद चलित वैश्वीकरण के हिस्से के तौर पर कार्य दल ने सरकारी विभागों के प्रशासन और निरीक्षण की जिम्मेदारी से राज्य को अपना हाथ खींचने और इन कामों को पहले कदम के रूप में ग्राम पंचायतों को सौंपने की सिफारिश की। इसी पृष्ठभूमि में 23 जनबरी 2004 को ग्राम पंचायत अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में ''घोषणा'' के नाम से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कार्यदल की सिफारिशों को लागू करने का आह्वान किया गया था।

वर्तमान कांग्रेस - जनता दल (एस) सरकार मई 2004 में सरकार में आई। हालांकि सरकार में परिवर्तन हुआ है नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्तमान गठबंधन सरकार ने 24 मई 2004 को एक सर्कुलर जारी करके राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रशासन में दो परिवर्तन किए। इसमें कहा गया है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को हर महीने ग्राम पंचायत से उपस्थिति प्रमाणपत्र लेना पड़ेगा जिसके आधार पर उन्हें मासिक मानदेय अदा किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि आंगनवाड़ी कर्मचारी केवल ग्राम पंचायत की अनुमति से ही अपनी 20 दिन की वार्षिक छुट्टियां ले सकती हैं।

इस सर्कुलर से राज्य भर की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं में बेचैनी फैल गई। कर्नाटक आंगनवाड़ी नौकरारा संघ ने कर्मचारियों के मसले को हाथ में लिया और जिला पंचायतों तथा तालुक केंद्रों के सामने एक राज्यव्यापी प्रतिरोध का आह्वान किया। इस आह्वान से कर्मचारियों में जोश आया जो उनके रोजाना के काम में ग्रामीण समाज के निहित स्वार्थों के हस्तक्षेप और उत्पीड़न से परेशान थीं। यह सर्कुलर आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए, जो विभिन्न विभागों के अधिकारियों और विभिन्न रंगों के स्थानीय राजनीतिकों द्वारा परेशान की जा रही थीं, एक और बड़ा धक्का था।

यूनियन के निरंतर जारी संघर्षों ने मुख्य मंत्री धर्म सिंह को इस मुद्दे पर यूनियन के साथ चर्चा करने के लिए बाध्य किया। सी पी आई (एम) एम एल ए श्रीरामारेड्डी ने भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। सरकार ने यूनियनों पर एक अमान्य समझौते पर हस्ताक्षर के लिए दबाव डाला जिसे एक यूनियन को छोड़कर सभी ने ठुकरा दिया। सरकार ने इस समझौते को थोपने की कोशिश की किंतु सीटू से संबद्ध यूनियन के सख्त विरोध के कारण इसे पीछे हटना पड़ा। यूनियन ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच अपना प्रचार जारी रखा और सीटू राज्य कमेटी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय रैली में लगभग 9,000 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाग लिया जिसमें अपने मांगपत्र में सर्कुलर को वापस लेने की मांग भी शामिल की गई। यूनियन ने 3 से 14 सितंबर तक बंगलोर में धरने का आयोजन किया। विभिन्न जिलों से लगभग 500 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने हर दिन भाग लिया। यूनियन ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच कार्यरत यूनियनों को एकजुट करने की पहल की।

सितंबर के पहले सप्ताह में एक राज्य स्तरीय संयुक्त कन्वेंशन आयोजित की गई जिसने 15 सितम्बर को एक दिवसीय हड़ताल पर जाने का फैस्ला लिया। इसने विभाग को मासिक प्रगति रिपोर्ट (एम पी आर) भेजना भी बंद कर दिया। सभी जिलों में आह्वान को सफलतापूर्वक लागू किया गया। यूनियन ने 10 अक्टूबर को सरकार के पल्स पोलियो कार्यक्रम का भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया जिसमें आंगनवाड़ी कर्मचायिों ने अहम भूमिका निभाई। कर्मचारियों पर एम आर आर देने के लिये भारी दबाव था, उनका मानदेय रोक लिया गया था और पल्स पोलियो कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दबाव डाला गया। कुछ स्थानों में तो अधिकारियों ने कर्मचारियों पर निजी पूंजीपतियों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों से भी अधिक उत्पीड़न करना शुरू किया।

बढ़ते हुए दबाव और उत्पीड़न के बावजूद आंगनवाड़ी कर्मचारी अडिग रहे और संघर्ष जारी रखा। सीटू से संबद्ध यूनियन ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों की व्यापक भागीदारी के साथ संघर्ष तेज करने की योजना बनाई।

अंत में महिला व बाल विकास विभाग निदेशक ने 5 अक्टूबर को एक मीटिंग बुलाई और घोषित किया कि सरकार पिछले सर्कुलर में संशोधन करेगी और इसके अंदर दो बुनियादी मजदूर विरोधी प्रावधानों को वापस ले लेगी। यूनियन ने राज्य में हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों को बधाई दी जिन्होंने सरकार ने नजरिए को बदलवाने के लिए बहादुरी के साथ संघर्ष किया और उनसे यूनियन को मजबूत करने की अपील की। □

# हरियाणा: आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने रोष सप्ताह मनाया

आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, हरियाणा (सी आइ टी यू व सर्व कर्मचारी संघ) के आह्वान पर राज्य भर में 16 से 21 अगस्त तक रोष सप्ताह मनाया गया। इसके तहत सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, जींद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, यमुनानगर सहित सभी जिलों में उपायुक्त कार्यालयों पर जबर्दस्त प्रदर्शन और धरने आयोजित कर मुख्यमंत्री

के नाम ज्ञापन दिए गए। कुल मिलाकर 45 से अधिक ब्लॉकों की 5000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने इन धरनों और प्रदर्शनों में हिस्सा लिया।

रोष सप्ताह की तैयारी के लिए राज्य भर में 20,000 हैंड बिल बांटे गए और ब्लॉक स्तर पर सभाओं व बैठकों का आयोजन किया गया। इनमें यूनियन की राज्य व जिला नेताओं, ब्लॉक स्तर की कार्यकर्ताओं, सीटू के राज्य व जिला नेताओं और सर्व कर्मचारी संघ के साथियों ने पूर्ण सहयोग दिया। इस कार्यक्रम से पहले दो-दिवसीय राज्यस्तरीय वर्कशॉप आयोजित की गई। इसका कार्यकर्ताओं पर अच्छा प्रभाव पड़ा, जो आंदोलन में दिखाई दिया। इसी के साथ संघर्ष, संगठन और सदस्यता के कार्यक्रम को भी जोड़ा गया था। अगस्त से शुरू कर सितंबर में भी जारी सदस्यता अभियान को अच्छा समर्थन मिल रहा है।

इस सप्ताह के दौरान आंगनवाड़ी परियोजनाओं का निजीकरण करने और उन्हें पंचायतों को देने पर रोक लगाने; आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को कर्मचारी घोषित करने; राज्य की चौटाला सरकार द्वारा वेतन में क्रमश: 200 रु० और 100 रु० की कटौती का एरियर सहित भुगतान करने; सुपरवाइजर की भर्ती में आंगनवाड़ीकर्मियों को प्राथमिकता देने; आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया देने या उनके लिए भवन उपलब्ध कराने; विधवाओं को पेंशन देने; सहायिकाओं के गरीबी की रेखा के नीचे के राशन कार्ड बनाने और उन्हें राशन देने; ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश देने; उत्सव बोनस लागू करने आदि की मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। इन प्रदर्शनों और धरनों से आंगनवाड़ीकर्मियों के लंबे संघर्ष में उतरने का रुझान दिखाई दिया है और इस आंदोलन से उनके हौसले बुलंद हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के जगह-जगह आंदोलन में गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन आंगनवाड़ीकर्मियों ने उसे नकारते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन को अपना समर्थन दिया। भावी संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जा रही है। □

# झारखंड

6 जून 2004 को पकुर जिले में पकुर से 80 किमी० दूर आदिवासी क्षेत्र में एक विस्तारित मीटिंग हुई। तीन जिलों से लगभग 150 आंगनवाड़ी मजदूरों और हेल्परों ने मीटिंग में भाग लिया, कुछ तो काफी देर से आए और अनेक नहीं आ सके चूंकि दिन में तूफानी हवाएं चल रहीं थीं।

मीटिंग में चर्चा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गए :

1. राज्य कमेटी दूसरे जिलों में जहां पर कुछ संपर्क हैं यूनियन का विस्तार करने की कोशिश करेगी।
2. सितंबर के भीतर 2004 की सदस्यता पूरी करो। लक्ष्य है : 10,000
3. अगस्त में राज्यवार ट्रेड यूनियन कक्षाएं।
4. जिलावार सांगठनिक कक्षाएं।
5. विभिन्न स्तरों : प्रोजेक्ट, जिला और राज्य पर कान्फ्रेंसें।
6. दिसंबर 2004 के भीतर विशेष फंड अभियान को पूरा करना।

कार्यकर्त्ताओं ने सुपरवाइजरों के हाथों और कुछ जगहों पर सी डी पी ओज की ओर से पैदा की जाने वाली परेशानियों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। जहां जिला कमेटी मजबूत है वहां अधिक समस्या नहीं होती। किंतु सुपरवाइजर और सी डी पी ओज जहां कार्यकर्ताओं को काम के लिए पैसा मिलता है, वे पैसे की मांग करते हैं। उदाहरण के लिए जब उन्हें बढ़े हुए मानदेय का एरियर मिला तो धन की मांग की गई। जहां यूनियन मजबूत है वहां कार्यकर्ता धन नहीं देते। किंतु कुछ स्थानों में कार्यकर्ताओं और सहायकों द्वारा कुछ स्थानों पर अधिकारियों को धन दिए जाने की खबर है। मीटिंग की अध्यक्षता राज्य की अध्यक्ष शांती मेरी टूडू ने की।

फेडरेशन की अध्यक्ष नीलिमा मैत्रा उपस्थित थीं और उन्होंने आज की राजनीतिक स्थिति में एक मजबूत संगठन की जरूरत पर जोर देते हुए भाषण किया। □

# उड़ीसा में राज्य स्तरीय धरना

आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन ने 13 जुलाई 2004 को उड़ीसा विधान सभा के सामने उड़ीसा आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन अध्यक्ष व राज्य सीटू अध्यक्ष लाम्बोदर नायक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय धरना आयोजित किया गया। गंजम, बालासोर, केंद्रपाड़ा, पुरी, नयागढ़, सुंदरगढ़ और खुर्दा आदि जिलों से 500 से भी अधिक वर्करों तथा हेल्परों ने भाग लिया।

उड़ीसा में भाजपा—बी जे डी सरकार वैश्वीकरण की नीति पर चल रही है। डी एफ आई डी और आई एम एफ के निर्देशों के अनुरूप आंगनवाड़ी कर्मचारियों को 26 प्रोजेक्टों में 5 साल के लिए ठेका आधार पर नियुक्त किया जाता है। गंजम जिले में दिगापहांडी, प्रतापुर और गंजम ब्लॉकों में कर्मचारियों को काम से निकाल दिया था और नए मजदूरों की भर्ती के आदेश की अधिसूचना जारी की गई थी। इसी बीच एसोसिएशन ने इस मसले को मुख्य मंत्री, महिला व बाल विकास विभाग निदेशक व आयुक्त / सचिव के समक्ष उठाया। विभाग ने एक स्थगन आदेश जारी किया और सभी जिलों को सूचित किया गया।

एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें कुमुदनी बेहेरा, राधा रमन सारंगी, एडवा राज्य सचिव, पुष्पा दाश, अंजली पत्रा, बिजय लक्ष्मी दास, राज लक्ष्मी दास, नमीता पांडा और बहालिने मुंडा ने महिला व बाल कल्याण मंत्री श्रीमती, प्रभीला मलिक से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें एक ज्ञापन दिया और 10 सूत्री मांगपत्र पर बातचीत की जिनमें निम्नलिखित मांगें शामिल थीं:

1. पांच सालों की गाइडलाइनों को रद्द करना
2. आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स का सरकारी कर्मचारियों के रूप में प्रशिक्षण।
3. मासिक मानदेय को बढ़ाकर आंगनवाड़ी वर्करों के लिए 2500 रु० और हेल्परों के लिए 1500 रुपये करना।
4. आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए अपना घर, पीने का पानी और टॉयलेट की सुविधा प्रत्येक केंद्र को दी जाए।
5. आई सी डी एस का निजीकरण बंद करो और इसे पंचायतों तथा मदर्स कमेटियों को न सौंपा जाए।
6. राज्य सरकार हरेक आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को 200 रुपये की सहायता प्रदान करे चूंकि वे राज्य सरकार का कुछ काम कर रहे हैं।
7. केंद्र को निम्न क्वालिटी की खाद्य सामग्री की सप्लाई बंद की जाए और अच्छे क्वालिटी की खाद्य सामग्री, सही वचन की सामग्री सप्लाई की जाए।
8. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए पेंशन नियमों को लागू किया जाए।
9. सभी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।

महिला व बाल विकास मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे एसोएिशन द्वारा उठाई गई मांगों को व्यक्तिगत रूप से देखेंगी और मांगों की पूर्ति के लिए तुरंत कदम उठाएंगी। □

# तमिलनाडु आंगनवाड़ी कर्मचारी बकायों के लिए संघर्ष तेज करेंगे

तमिलनाडु आंगनवाड़ी एम्प्लॉईज एसोसिएशन की विस्तारित राज्य कमेटी मीटिंग 21 अगस्त 2004 को चेन्नई के तेनाम्पेट यूनियन कार्यालय में हुई। यह पिछले साल राज्य कान्फ्रेंस के बाद यूनियन कार्यकारिणी कमेटी की पहली बैठक थी। राज्य कमेटी मीटिंग से पहले पदाधिकारियों की मीटिंग हुई।

29 जिलों में से 23 जिले के लगभग 50 सदस्यों और आमंत्रितों ने मीटिंग में भाग लिया जिसकी अध्यक्षता उपाध्यक्षा भुवनेश्वरी ने की चूंकि अध्यक्षा राजेश्वरी बीमार होने के कारण अनुपस्थित थीं। डी के लक्ष्मणन, राज्य सरकारी कर्मचारी ऐसोसिएशन नेता ने मीटिंग का स्वागत किया। यूनियन की जनरल सेक्रेट्री थामिलारासी ने कान्फ्रेंस के बाद की गतिविधियों पर रिपोर्ट रखी। उन्होंने बताया कि जिला कान्फ्रेंसों को आयोजित करने और जिला कमेटियों के चुनाव की प्रक्रिया 13 जिलों में पूरी कर ली गई है और सभी जिलों में प्रोजेक्ट और जिला कमेटियां चुनने के महत्व पर जोर दिया।

मीटिंग में राज्य की आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसने जयललिता सरकार के खिलाफ असंतोष प्रकट किया, जिसने भारत सरकार द्वारा 2002 में दी गई बढ़ोतरी को रोका हुआ है। वक्ताओं ने सी डी पी ओज और सुपरवाइजरों के भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के कई उदाहरण गिनाए, जिन्होंने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को, यदि वे यूनियन में शामिल हुईं तो, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की धमकियां दीं।

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स फेडरेशन की जनरल सेक्रेट्री हेमलता ने उन विभिन्न लाभों के बारे में बताया जिनकी आंगनवाड़ी कर्मचारी अधिकारी हैं। उन्होंने विभिन्न राज्यों में इन लाभों को हासिल करने के लिए तथा सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्षों के अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने राज्य सरकार की बढ़े हुए मानदेय न अदा करने के लिए कड़ी आलोचना की। उन्होंने मीटिंग में भाग लेने वालों से यूनियन को मजबूत करने के लिए काम करने और अपने अधिकारों की रक्षा हेतु संघर्ष करने का आग्रह किया।

तमिलनाडु राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति की संयोजक और सीटू राज्य उपाध्यक्ष मालती चित्तीबाबू मीटिंग का स्वागत किया और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को अपनी मांगें मनवाने के संघर्षों में पूरी मदद का वायदा किया। मीटिंग में बकायों के भुगतान को प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी कर्मचारियों का संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया। □

# उत्तरांचल: आंगनवाड़ी वर्करों का धरना

उत्तरांचल के विभिन्न भागों से सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों ने 30 जून 2004 को देहरादून में राज्य सचिवालय के सामने धरना दिया। वे आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की समस्याओं की राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा के खिलाफ विरोध प्रकट कर रहे थे। काफी लंबे समय से आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन कुछ उचित मांगों को उठा रही है। किंतु सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। बीरेंद्र भंडारी, जनरल सेक्रेट्री, राज्य सीटू, ए आर सिंधू, कोषाध्यक्ष ए आई एफ ए डब्ल्यू एच, यूनियन नेताओं मीनू डोगरा, सर्वेश्वरी खंडूरी, माया मल, राज्य कामकाजी महिला नेता, इंदू नौटियाल, राज्य एडवा जनरल सेक्रेट्री आदि ने धरने को संबोधित किया। देहरादून, पौडी, टेहरी, चमौली और उत्तरकाशी जिलों से आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने धरने में भाग लिया।

एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें सर्वेश्वरी खंडूरी, मीनू डोगरा, मीना गुलेरिया, कमला सती, मुन्नी पवार, ए आर सिंधू और बीरेंद्र भंडारी शामिल थे, मुख्य मंत्री के सचिव से मिला और एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने स्वयं अगले दिन के लिए आई सी डी एस निदेशक के साथ प्रतिनिधिमंडल के साथ एक मुलाकात का समय तय किया। मांगों में शामिल हैं : मानदेय का समय पर भुगतान, अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त वेतन, शिकायत निवारण कमेटियों का गठन, सुपरवाइजरों के पदों में आरक्षण, गर्मियों की छुट्टियां आदि।

नेताओं ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों से आंदोलन तेज करने का आह्वान किया। यूनियन ने यदि उनकी मांगें नहीं मानी जातीं तो 16 से 21 जुलाई को जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शनों और 31 जुलाई 2004 को आई सी डी एस निदेशालय पर धरना आयोजित करने का निर्णय लिया। □

# आंध्र प्रदेश : आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की राज्य कन्वेंशन

आंध्र प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कन्वेंशन 22 जुलाई 2004 को हैदराबाद में सुंदरैया विग्नान केंद्रीय के सभागार में हुई। राज्य में चंद्रबाबू नायडू की टी डी पी सरकार की हार और कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद यह यूनियन द्वारा आयोजित पहली राज्य स्तरीय कन्वेंशन थी। राज्य भर से लगभग 600 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने कन्वेंशन में भाग लिया। एन सुब्बम्मा यूनियन उपाध्यक्ष ने कन्वेंशन की अध्यक्षता की।

रोजा, यूनियन जनरल सेक्रेट्री ने अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त वेतन की मांग करते हुए, जिसका कि कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान वायदा किया था, प्रस्ताव रखा। इसके अलावा इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की नियुक्ति मदर्स कमेटियों के बजाय सेलेक्शन कमेटी के जरिए करने, नियमित मानदेय अदा करने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के अवसर आदि की मांग को भी रखा गया। सभी जिलों से आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाषण दिए। उन्होंने इस बात पर अपनी नाराजगी प्रकट की कि हालांकि वे पिछले 29 सालों से काम कर रही हैं उन्हें सरकार ने कर्मचारियों के रूप में मान्यता नहीं दी है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि कम से कम उनके मानदेय का नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जाता तो उनके पास किसानों की तरह आत्महत्या करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा।

आंध्र प्रदेश राज्य सीटू महासचिव वीरैया ने मांग की कि राज्य सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों को हल करने के लिए तुरंत कदम उठाए। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि जनता ने तत्कालीन टी ड़ी पी सरकार द्वारा अपनाई जा रही विश्व बैंक की नीतियों के खिलाफ वोट दिया था और चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस ने भी उन्हीं नीतियों का पालन किया तो उसका भी वही हश्र होगा। सी पी आई (एम) एम एल ए श्री एम ए गफूर ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्याओं को विधान सभा में उठाएगी और उन्हें हल करवाने के लिए सरकार पर दबाव डालेगी।

खनिज संसाधन मंत्री सबीता इंद्रा रेड्डी ने कन्वेंशन को मुख्य मंत्री राजशेखर रेड्डी की ओर से संबोधित किया। उन्होंने वायदा किया कि सरकार मानदेय के नियमित भुगतान के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी, यूनियन प्रतिनिधियों और अधिकारियों की नियमित मीटिंग कराएगी और राज्य सरकार के संसाधनों से अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त वेतन के लिए सकारात्मक निर्णय लेगी।

कन्वेंशन ने प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया और 26 जुलाई को सभी प्रोजेक्ट कमेटियों से मुख्य मंत्री को टेलीग्राम भेजने का निर्णय लिया। यदि सरकार समय पर कार्रवाई करने में विफल रहती है तो यह भी निर्णय लिया गया कि अगस्त में प्रोजेक्ट मुख्यालयों में धरने देकर आंदोलन को तेज किया जायेगा।

एक दिन पहले एक प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें रोजा, गफूर, ज्योति, वर्धनी और धनलक्ष्मी शामिल थीं, मुख्य मंत्री से मुलाकात की और यूनियन की मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। □

# तमिलनाडु सी सी डब्ल्यू मीटिंग

तमिलनाडु राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू की 22 अगस्त को चेन्नई में मीटिंग हुई। आर इश्वरी ने मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू सदस्यों के अलावा 15 जिला इकाइयों से निर्माण, हैंडलूम, आई सी डी एस, दोपहर की भोजन योजना, बागान और विद्युत क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हुए। ए के पद्मनाभन, उपाध्यक्ष तमिलनाडु राज्य सीटू ने सीटू की जनरल काउंसिल मीटिंग के निर्णयों, वर्तमान घटनाक्रम और आगे के कामों के बारे में विस्तार से चर्चा की।

24 फरवरी की हड़ताल और 14वें लोकसभा चुनावों में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी की समीक्षा की गई। नासिक में हुई ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू की मीटिंग के निर्णयों, बी टी आर शताब्दी के संबंध में कार्यक्रम, 9 सितंबर की प्रस्तावित ''असंगठित मजदूरों, की रैली'' और 'बॉड्स ऑफ वर्किंग वूमेन' के लिए चंदा एकत्र करने आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। गतिविधियों पर रिपोर्ट पेश की गई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवव मनाना, विमल रणदिवे स्मृति दिवस मनाना, तिरूनेलवेली और मदुरै में क्षेत्र में जी आई सी कामकाजी महिला मीटिंग, कोविलपट्टी में 'माचिस उद्योग में कामकाजी महिला मीटिंग, पुडूकोट्टई में फूल माला बनाने वाली महिलाओं के लिए ट्रेड यूनियन कार्यशाला आदि गतिविधियां शामिल हैं। राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू सदस्यों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया और टी ए लता तथा एम भागवती को चेन्नई कार्पोरेशन की लाल झंडा यूनियन का क्रमश: अध्यक्ष और पदाधिकारी चुना गया।

चर्चा में संगठन के आधार को सुधारने तथा कामकाजी महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने के कई रचनात्मक सुझाव दिए गए।

तमिलनाडु राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू ने 9 सितंबर को असंगठित मजदूरों की रैली में बड़ी संख्या में मजदूरों को लामबंद करने और 13 सूत्री मांगपत्र पर कामकाजी महिलाओं के बीच एक जोरदार हस्ताक्षर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसने अगरबत्ती, आतिशबाजी और माचिस उद्योग में गृह आधारित मजदूरों पर सर्वेक्षण करने का फैसला लिया। बी टी आर शताब्दी समारोहों के हिस्से के तौर पर उत्तर और दक्षिण चेन्नई इकाइयों ने सितंबर 2004 के दौरान विशेष जनरल बॉडी मीटिंगें आयोजित की और जिला कन्वीनरों संयुक्त कन्वीनरों तथा राज्य कमेटी सदस्यों की राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन कार्यशाला 9 और 10 अक्टूबर 2004 को त्रिची में होगी।

नई दिल्ली में 17 नवंबर को होने वाली कन्वेंशन में भाग लेने के लिए सीटू जिला इकाइयों के साथ मिलकर तमिलनाडु से कामकाजी महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। □

# आंध्र प्रदेश : आई सी डी एस सुपरवाइजरों की राज्य कन्वेंशन

सीटू से संबद्ध आंध्र प्रदेश सुपरवाइजरी स्टाफ यूनियन की राज्य स्तरीय कन्वेंशन 29 जुलाई को हैदराबाद में सुंदरैया विग्नान केंद्रम में हुई। कई जिलों से आई सी डी एस सुपरवाइजरों ने कन्वेंशन में भाग लिया और एक मांगपत्र पारित किया। पी एन विजयलक्ष्मी, सुपरवाइजर और यूनियन नेता रोजा, कन्वीनर राज्य सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू और सीटू सचिव, ज्योति, सचिव आंध्र प्रदेश सीटू राज्य कमेटी ने कन्वेंशन में भाग लिया।

महिला व बाल विकास मंत्री को सौंपे गए यूनियन ने कहा कि राज्य में तत्कालीन टी डी पी सरकार ने पिछले छह सालों से प्रमोशन पर रोक लगा दी थी। इसके परिणामस्वरूप ग्रेड-I और ग्रेड-II सुपरवाइजर बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारियों के रूप में कोई प्रमोशन के अवसर नहीं पा रहे थे। दूसरे विभागों से कर्मचारियों को डेपुटेशन पर लेने की प्रणाली से भी प्रमोशन के अवसर प्रभावित हुए हैं।

पहले प्रत्येक सुपरवाइजर को लगभग 15-20 आंगनवाड़ी केंद्रों जोकि एक क्षेत्र होता है, का निरीक्षण करना होता था। किंतु हाल ही में सरकार ने निर्णय किया कि प्रत्येक क्षेत्र 25 आंगनवाड़ी केंद्रों से कम का नहीं होगा। इसके परिणामस्वरूप सुपरवाइजरों का वर्कलोड काफी बढ़ गया है। बड़ी संख्या में सुपरवाइजरों के पद लगातार वर्षों तक खाली पड़े रहते हैं। इससे भी सुपरवाइजरों का वर्कलोड बढ़ा है चूंकि उन्हें प्रभारी के रूप में इन केंद्रों को भी देखना पड़ता है। एफ टी ए (निर्धारित यात्रा भत्ता) काफी पहले तय किया गया था जो इतना कम है कि वे इतनी कम राशि से यात्रा का खर्च उठाने में बड़ी कठिनाई महसूस करते हैं।

कन्वेंशन ने मांग की कि ग्रेड-I और ग्रेड-II सुपरवाइजरों को तुरंत प्रमोशन दिए जाएं, प्रभारी भत्ते का भुगतान किया जाए, एक क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या को 15-20 से अधिक न रखा जाए, आई सी डी एस में सभी खाली पदों को शीघ्र भरा जाए, एफ टी ए को बढ़ाकर 1000 रु० प्रति माह किया जाए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियुक्ति सेलेक्शन कमेटी द्वारा की जाए, किसी भी दूसरे विभाग से डेपूटेशन नहीं होना चाहिए, आदि। इसने संगठन को मजबूत करने और सभी जिला इकाइयों को सक्रिय करने का भी निर्णय लिया। □

# मैं यह काम क्यों कर रही हूँ ?

— के. हेमलता

'मैं यह काम क्यों कर रही हूँ ?', सुमित्रा बाली, चूंकि मुझे धन की बहुत जरूरत है; क्योंकि मैं खाली नहीं बैइ सकती। यदि मैं अपने वेतन में वृद्धि की मांग करती हूँ तो एजेंट मुझे काम देना बंद कर देगा और दस और महिलाएं इससे भी कम दाम पर इसी काम का करने के लिए तैयार बैठी हैं।

सुमित्रा इस सवाल का जवाब दे रही थी कि वह इतनी कम मजदूरी यानी 5 रुपये प्रति दिन पर काम क्यों कर रही है। वे एक गृह आधारित मजदूर हैं जो कपड़ों पर सजावटी डिजाइनों को टांकती हैं जिन्हें अच्छे बाजारों में बहुत ज्यादा दामों पर बेचा जाता है। एक दिन में लगभग 6 घंटे काम करके वे एक दिन में एक टॉप पर डिजाइन पूरा कर पाती हैं जिसके लिए उन्हें 5 रुपये मिलते हैं। उन्हें पता है कि उनका शोषण हो रहा है किंतु वे बेबस हैं चूंकि दूसरा कोई काम नहीं मिलता। उन्हें बच्चों का पेट भरना है। वे एक और पीस को, अपनी बेटी की मदद से पूरा करके थोड़ा और कमा सकती हैं किंतु वह उनकी पढ़ाई खराब नहीं करना चाहतीं। वे चाहती हैं कि उनकी बेटियां पढ़ें और उन्हें अच्छे भुगतान वाला काम मिल जाए।

सुमित्रा का कोई अकेला केस नहीं है। देश में लाखों गृह आधारित मजदूर हैं और उनमें से 70 प्रतिशत महिलाएं हैं। पहले गृह आधारित काम कुछ परंपरागत कामों जैसे बुनाई, हैडीक्राफ्ट, लेस और चिकन के काम आदि तक सीमित था, अब वह दूसरे अनेक कामों तक फैल गया है जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक एसेम्बली, गार्मेंट्स, एम्ब्रोइडरी, चमड़े का सामान, जूते आदि। वैश्वीकरण के साथ साथ यहां तक कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी अपने काम को गृह आधारित मजदूरों से कराने लगी हैं। ये संभव है जिस बिंदी को आप अपने माथे पर लगाती हैं, जिस साड़ी, ट्रेंडी जीन, फेंसी टॉप और दुपट्टा को आप पहनती हैं, आपकी कलाई की चुड़ियां, जो अगरबत्ती आप पूजा में जलाती हैं और जो फूल मालाएं आप भगवान पर चढ़ाती हैं, मसाले, अचार और पापड़ जिन्हें आप लंच में उपयोग करती हैं, प्लास्टिक के जूने जिनसे आप अपने बर्तन साफ करती हैं, पतंगें और खिलौने जिनसे आपके बच्चे खेलते हैं, बीड़ियां जिनसे कहते हैं लोग रिलेक्स होते हैं, सभी गृह आधारित मजदूरों द्वारा बनाई जाती हैं। और उन्हें उच्च तकनीक वाले कामों में भी लगाया जाता है जैसे टाइपिंग, अनुवाद, संपादन, छपाई, बुक बाइंडिंग आदि।

चाहे कुशलता का काम हो या अकुशलता का या कम कुशलता का गृह आधारित मजदूरों के लिए एक बात सामान्य है कि काम उनके अपने स्थान आम तौर पर घर पर किया जाता है। किंतु गृह आधारित मजदूर न तो यह तय करते हैं कि उन्हें किस चीज का उत्पादन करना है और न ही उनके द्वारा उत्पाद बाजार में बेचा जाता है। ये काम मालिक तय करते हैं। मजदूर उनको मालिकों द्वारा अधिकांश रूप से बिचौलियों या ठेकेदारों/उपठेकेदारों, एजेंटों आदि के माध्यम से दिए गए काम पर निर्भर हैं। इसके कारण वे दस्तकारी या घरेलू उद्योगों से अलग हैं जो स्वतंत्र किस्म के उत्पादन हैं।

अनेक तरह के अध्ययनों की रिपोर्टों, जिनमें श्रमशक्ति की रिपोर्ट (स्व-रोजगार महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट) भी शामिल है, से पता चलता है कि गृह आधारित मजदूरों का विशाल बहुमत वेतन मजदूरों का है। किंतु सरकारी तंत्र और कुछ लोगों में गृह आधारित मजदूरों और स्वयं-कारोबारी मजदूरों जो अपने उत्पादों को पैदा करते हैं और बेचते हैं को एक दूसरे के साथ गड्मड् करने की प्रवृत्ति है। जब गृह आधारित मजदूरों के सवाल पर चर्चा की जाती है तो सस्ते दाम पर कच्चे माल, कुशलता विकास, मार्केटिंग सुविधाओं के प्रावधान जैसे मुद्दे उठाए जाते हैं। गृह आधारित कार्य पर राष्ट्रीय नीति के मसौदे में, जिसे अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है सरकार गृह आधारित मजदूरों और स्वयं कारोबारी मजदूरों के बीच के अंतर को छुपाने की

कोशिश करती है। सरकार के नीतिगत प्रस्ताव, ठेकेदारों, एजेंटों और मुख्य सेवा योजकों द्वारा बड़ी संख्या में गृह आधारित मजदूरों के भारी शोषण की उपेक्षा करते हुए, मुख्य रूप से स्वयं रोजगार मजदूरों के विषय में हैं। वास्तव में दस्तावेज में गृह आधारित वेतन मजदूरों को अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी माना गया है और निम्नलिखित लाभों को सूची में रखा गया है :

- कोई ओवरहैड खर्च नहीं होते चूंकि ये खर्च मजदूर स्वयं उठाते हैं।
- मजदूर कच्चे माल की कीमत को सब्सीडाइज करते हैं।
- मालिकों मजदूरों को हटा सकते हैं।
- मजदूर अकेले में काम करते हैं इसलिए यूनियन बनाना कठिन है।
- मालिक उन्हें बहुत कम वेतन दे सकते हैं; मालिक उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं।
- पीस रेट यह सुनिश्चित करता है कि मजदूर मात्रा और क्वालिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं और मालिक का निरीक्षण का खर्च बचता है।

स्पष्ट रूप से जिन्हें दस्तावेज अर्थव्यवस्था के लिए लाभों के रूप में प्रोत्साहित करता है वे वास्तव में मालिकों के लिए लाभ हैं। विडंबना तो इस बात की है कि श्रम मंत्रालय जिससे मजदूरों के हितों की रक्षा की उम्मीद की जाती है उसी ने यह दस्तावेज तैयार किया है। भारत सरकार ने गृह आधारित मजदूरों पर आई एल ओ कन्वेंशन के पक्ष में मतदान किया है किंतु इसने अभी तक कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है।

एक और गलत धारणा जो गृह आधारित काम को उचित ठहराती है वह यह है कि महिलाएं गृह आधारित काम को प्राथमिकता देती हैं चूंकि इससे वे अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाते हुए वेतन के लिए काम कर सकती हैं। सरकार भी इस समझ को प्रोत्साहित कर रही है। किंतु यह पाया गया है कि अनेक महिलाएं गृह आधारित काम की बजाय फैक्ट्री के काम को पसंद करती हैं चूंकि घर में रह कर काम करने से काम का भारी दबाव और भार झेलना पड़ता है वे घर पर इसलिए काम करती हैं चूंकि उन्हें नियमित और बेहतर काम नहीं मिलता। गृह आधारित मजदूरों पर एक सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि कुछ ने गृह आधारित काम को सामाजिक बंदिशों के कारण लिया है किंतु किसी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने गृह आधारित काम को इसलिए प्राथमिकता दी है कि इससे घर को चलाने और काम करने में आसानी होती है।

सेवायोजक गृह आधारित मजदूरों की दुर्बलता और सरकार की कृपा का पूरा फायदा उठाते हैं। गृह आधारित मजदूरों को मजदूर भी नहीं माना जाता। मध्यस्तों, एजेंटों, ठकेदारों और उपठेकेदारों की लंबी चेन सेवायोजक-कर्मचारी संबंधों को छुपा लेती है। न्यूनतम वेतन निर्धारण विरली बात होती है और उसे कभी अदा नहीं किया जाता। उनके काम की कोई सुरक्षा नहीं है; न ही उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलता है। आम तौर पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराया जाता और मजदूरों से उत्पादित वस्तुओं में कमी को पूरा करने के लिए बाध्य किया जाता है। खराब क्वालिटी के आरोप में उत्पादों को रिजेक्ट करना आम बात है। इस रिजेक्ट किए गए उत्पाद के लिए मजदूरों का वेतन नहीं दिया जाता हालांकि इस उत्पाद को मजदूर को वापस भी नहीं किया जाता। उत्पीड़न और धमकियां आम बात हैं।

ऐसी गंभीर समस्याओं के बावजूद बहुत कम गृह आधारित मजदूर संगठित होते हैं। हालांकि गृह आधारित मजदूरों की बिखरे होने की स्थिति, जानकारी की कमी, उनके बीच की निरक्षरता तथा एक बार संगठित होने पर काम से हाथ धो बैठने की धमकियां ऐसे कारक हैं जो उन्हें संगठित होने से रोकते हैं, ट्रेड यूनियनों की ओर से पहल की कमी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह उत्साह पैदा करने वाली बात है कि सीटू ने कामकाजी महिलाओं के मुद्दों पर अपने अभियान में गृह आधारित मजदूरों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। अपनी सातवीं कान्फ्रेंस में अखिल भारतीय समन्वय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीटू) ने गृह आधारित मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा की और एक दस्तावेज पारित किया जिसे सीटू की 11वीं

*(शेष पृष्ठ 12 पर)*

# कुपोषण से मौत के पीछे सच्चाई
# नांदुर्बाट का अनुभव

—शुभा शमीम

आदिवासी जिलों में कुपोषण और शिशु मृत्यु की ऊंची दर अखबारों की सुर्खियों में हैं। हरेक ने आई सी डी एस या स्वास्थ्य सेवाओं पर दोष डालने की कोशिश की है। सरकार ने कई पैकेजों और आंगनवाड़ियों की संख्या में वृद्धि की घोषणा की है। लेकिन समस्या की जड़ें ज्यादा गहरी हैं और इससे गंभीरता के साथ तथा व्यवस्थित तरीके से निपटा जाना चाहिए। इसके लिए हमें फौरी कदम उठाने तथा लंबी अवधि की योजना बनाने की जरूरत है।

इन कुपोषण से हुई मौतों के कारणों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कुछ कारणों की जड़ें हमारी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में हैं और कुछ की दोषपूर्ण सरकारी तंत्र में हैं।

कई कारण जो कुपोषण और शिशु मृत्यु को पैदा करते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं आर्थिक कारक हैं। इनमें सदियों के शोषण के कारण आदिवासी जनता में भारी गरीबी और जंगल के उत्पादों में आ रही गिरावट शामिल है। जमीनों के टुकड़े छोटे-छोटे हैं और एक फसली पुराने तरह की खेती होती है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में वेतन कम हैं। औद्योगिक विकास की कमी है और बेरोजगारी और अर्धबेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है। एक और कारण 60 प्रतिशत जनता का बंधुआ मजदूरों की स्थिति में 7-8 महीने के लिए गुजरात में स्थानांतरण है।

सामाजिक कारणों में कम आयु में शादी होना है। शादी के समय लड़कियों की औसत आयु 13 से 15 वर्ष है। इससे वे जल्दी गर्भवती बन जाती हैं और पहले बच्चे के समय उनकी औसत आयु 15 से 17 वर्ष होती है। गरीबी और असुरक्षा के कारण अधिक बच्चे पैदा होते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा की कमी एक और कारण है जो कुपोषण को पैदा करता है।

## चिकित्सकीय कारक

70 से 80 प्रतिशत महिलाओं में भारी अनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा 6 ग्राम से भी कम होती है। मां स्वयं कुपोषित होती है और बच्चों के जन्म के बीच कोई अंतर नहीं होता। अपना दूध पिलाना 2-3 साल तक यहां तक कि अगले गर्भ के दौरान भी जारी रहता है। बच्चे को 1 से डेढ़ वर्ष तक भोजन नहीं दिया जाता वह केवल मां के दूध पर ही पलता है।

## बुनियादी ढांचे की कमी

तलोडा, अक्कल्कुवा, धादगांव, नवपुर तहसीलों में कई गांवों के लिए तारकोल की कोई सड़क नहीं हैं। इसके कारण कई आदिवासी क्षेत्रों में मानसून के दौरान पहुंचा नहीं जाता। न ही कई गांवों में कोई सार्वजनिक परिवहन नहीं हैं और मानसून के समय स्थितियां और भी खराब हो जाती हैं।

## स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोई आवासीय डाक्टर और दवाएं नहीं हैं इसलिए ध्यान भी कम ही दिया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की इमारतें भी खराब स्थिति में हैं। ग्रामीण अस्पतालों में अधिक दवाओं और नर्स स्टाफ की जरूरत है। तलोडा, फाडगाव में बाल चिकित्सक उपलब्ध नहीं है।

तलोडा के कॉटेज अस्पताल में कोई बाल चिकित्सक और दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं तथा डेलीवरी के लिए कोई ठीक ऑपरेशन कक्ष नहीं है। अनेक पदों को भरा नहीं गया है तथा कोई वरिष्ठ डाक्टर नहीं है। इस अस्पताल में खून और सैलाइन मुफ्त उपलब्ध नहीं हैं।

आदिवासी आबादी बिखरी हुई और दूर व पहाड़ी क्षेत्रों में फैली है। एक मात्र सहायता आंगनवाड़ियों के माध्यम से पहुंचती है। पूरे क्षेत्र में और अधिक आंगनवाड़ियों की जरूरत है।

स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित नीतिगत परिवर्तनों की जरूरत है :

(1) 500 की बजाय 200 की आबादी पर एक आंगनवाड़ी।
(2) 250 की बजाय 50 की आबादी पर एक मिनी आंगनवाड़ी।
(3) पूरक पोषण तथा आइरन तथा मल्टीविटामिन गोलियां 6 माह की उम्र तक के बजाय 0 से 1 साल की आयु के बच्चों की माताओं को प्रदान की जाएं।

## जनवितरण प्रणाली का पतन

राशन की दुकानें जब जनता के पास धन और समय होता है उस समय खुली नहीं होतीं और आदिवासी क्षेत्रों में राशन उपलब्ध नहीं होता। बी पी एल और अंत्योदय कार्डधारियों को केवल कागज पर 100 प्रतिशत कोटा दिया जाता है। दाखिल किए गए बच्चों के माता पिताओं का साक्षात्कार लिया जाता है और यह पाया गया कि अंत्योदय कार्डधारियों को 35 किलो की जगह केवल 10 से 20 किलो अनाज दिया जाता है। अनेक बी. पी. एल. कार्डधारियों को कुछ भी अनाज नहीं मिलता। वास्तव में जरूरतमंद लोगों जिनके बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, को बी. पी. एल. या अंत्योदय सूची में शामिल नहीं किया जाता।

यह आवश्यक है कि कुपोषण को बी. पी. एल. कार्ड प्राप्त करने के अधिकार के लिए एक सामाजिक सूचक के रूप में माना जाना चाहिए और आदिवासी क्षेत्रों में सभी बी. पी. एल. कार्डधारियों को अंत्योदय दरों पर अनाज दिया जाना चाहिए।

## पीने का साफ पानी

अनेक आदिवासी क्षेत्रों में पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है। कई कुओं को कागजों में खुदा हुआ दिखा दिया जाता है किंतु धन का दुरुपयोग किया जाता है और कुए अस्तित्व में नहीं होते। कई हैंड पम्प और बोरबैल चालू स्थिति में नहीं हैं। आदिवासी आबादी को बिना बने कुओं तथा पहाड़ी दहियों पर निर्भर रहना पड़ता है जो कि मल, गोबर के कारण गंदे होते हैं खास तौर से मानसून के शुरू में। बच्चों में ऊतिसार हो जाता है और बच्चों में कुपोषण बढ़ता है। कुपोषण की समस्या बहुआयामी है और इसे सरकार और प्रशासन के प्रत्येक संबद्ध विभाग के बीच सहयोग से हल करना पड़ेगा। हालांकि समस्या पर काबू पाने के लिए तुरंत कदमों की जरूरत है हमें इसके कारणों के लिए अध्ययन करना पड़ेगा तथा संघर्ष चलाना पड़ेगा। हम यह नहीं भूल सकते कि कुपोषण शोषण और असमानता पर आधारित समाज में एक वास्तविकता है। वर्तमान व्यवस्था में हम इसका पूरा निदान नहीं कर सकते किंतु कम से कम इसको कम करने की कोशिश कर सकते हैं। □

---

*(पृष्ठ 10 का शेष)*

कान्फ्रेंस अनुमोदित किया गया। दस्तावेज में मांग की गई है कि :

- सरकार को गृह आधारित मजदूरों पर व्यापक सर्वेक्षण करना चाहिए और आंकड़े एकत्र करने चाहिए। गृह आधारित मजदूरों पर आंकड़े जनगणना में एकत्र किए जाने चाहिएं।
- सरकार को गृह आधारित मजदूरों पर आई एल ओ की कन्वेंशन की तुरंत पुष्टि करनी चाहिए।
- गृह आधारित मजदूरों के लिए एक व्यापक कानून बनाना चाहिए।
- सभी गृह आधारित मजदूरों को पहचान पत्र जारी करने चाहिएं।

ए आई सी सी डब्ल्यू (सीटू) ने गृह आधारित मजदूरों पर सर्वेक्षण के कार्यक्रम को अभियान के हिस्से के तौर पर चलाने के लिए हाथ में लिया है और गृह आधारित मजदूरों के लिए व्यापक कानून की मांग को ज्ञापन में शामिल किया है जिसे लाखों कामकाजी महिलाओं के हस्ताक्षरों के साथ प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा।

इन प्रयत्नों के साथ साथ राज्यों में गृह आधारित मजदूरों को संगठित करने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। □

# आई सी डी एस योजना को एक नियमित विभाग या महिला व बाल विकास विभाग के हिस्से के रूप में अपग्रेड करो

*(25 सितम्बर 2004 को त्रिवेंद्रम में हुई ए आई एफ ए डब्ल्यू एच की विस्तारित कार्यकारिणी कमेटी बैठक में पारित)*

बच्चे हमारे भविष्य के मानव संसाधन हैं जिन पर देश का भविष्य निर्भर है। उनका विकास शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ नागरिकों में विकसित करना होगा। किन्तु दुर्भाग्य से आज हमारे देश में लगभग एक तिहाई बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आधे से अधिक बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं। समय से पहले पैदा होने, कम वजनी और नवजात शिशु तथा शिशु मृत्यु की ऊंची दर माताओं में पोषण की खराब स्थितियों के कारण होती है। बच्चों में वृद्धि का सबसे निर्णायक समय शुरू के छह साल होते हैं, चूंकि लगभग 40 प्रतिशत शारीरिक और 80 प्रतिशत मानसिक वृद्धि इन्हीं वर्षों में होती है। यह स्थापित हो चुका है कि जिस बच्चे को अच्छा पोषण नहीं मिलता उसका शारीरिक और मानसिक विकास कम तेजी के साथ होता है। शिशु और बल अवस्था के बढ़ने की अवधि में कुपोषण का जीवन के बाद के सालों में शारीरिक और मानसिक तौर पर नुकसान होता है। अत: बच्चे के सामान्य विकास और गर्भवर्ती व दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देना बड़ा महत्व रखता है जिससे देश के एक उन्नत राष्ट्र में विकास हेतु भविष्य की एक स्वस्थ आबादी का विकास हो सके।

भारत में महिलाओं को उनकी गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण और स्वस्थ देखरेख हासिल नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में एक जनसंख्या परिषद अध्ययन ने पाया कि 60-75 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को कुछ जिलों में कोई मातृत्व देखरेख प्राप्त नहीं होती। ग्रामीण क्षेत्रों में 85 प्रतिशत से भी अधिक महिलाएं और दूर-दराज के क्षेत्रों में 95 प्रतिशत महिलाएं घर पर ही बच्चे को जन्म देती हैं। केवल 42 प्रतिशत को ही सुरक्षित डेलीवरी की सुविधा तक पहुंच है। ग्रामीण जनता में नियोजित गर्भधारणों के लाभों, प्रसूति देखरेख तथा स्वास्थ्य संस्थाओं में सुरक्षित डेलीवरी के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जन्म देने से पहले की देखरेख की सुविधाओं तथा सुरक्षित डेलीवरी सुविधाओं को ग्रामीण जनता को उपलब्ध कराना आवश्यक है। किसी भी जटिलता के पैदा होने की स्थिति में पूरे साधनों से युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिएं। उचित परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। ऐसी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं जैसे कम उम्र में शादी और गर्भधारण, जल्दी-जल्दी और बार-बार गर्भधारण, बच्चियों की उपेक्षा, कन्या भ्रूण हत्या और शिशुबध आदि को जमीनी स्तर पर उठाने की जरूरत है।

भारत को विश्व में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इसकी पूरी आबादी के लिए खास तौर से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुनिश्चित करके इसके विशाल मानव संसाधनों को विकसित करने हेतु तुरंत कदम उठाए जाएं।

बच्चों के विकास की जरूरत और बच्चे के जन्म और विकास पर माता के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति के प्रभाव को ध्यान में रख कर तथा पिछले कुछ दशकों में कई बाल देखरेख कार्यक्रमों के पालन के अनुभव के साथ भारत सरकार ने 1975 में समन्वित बाल विका सेवा योजना शुरू की थी। योजना के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

- 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों के पोषण, और स्वास्थ्य स्तर को सुधारना।
- बच्चे के उचित मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए आधार प्रदान करना।
- मृत्यु, रोग-ग्रस्तता, कुपोषण और स्कूल छुट जाने की घटनाओं को कम करना।
- प्रभावी समन्वित नीति और विभिन्न विभागों में इसके अनुपालन को हासिल करना ताकि बाल विकास को बढ़ावा मिल सके।
- उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण की जरूरतों की देखभाल के लिए माताओं की क्षमताओं को बढ़ाना।

योजना के तहत स्थापित किए गए आंगनवाड़ी केंद्र निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं:

- 6 साल से कम उम्र के बच्चों और निम्न आय वाले परिवारों की दूध पिलाने वाली और गर्भवती माताओं के लिए पूरक पोषण प्रदान करना।
- 15 से 45 वर्ष के आयु वर्ग की सभी महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा।
- छह साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए प्रतिरक्षण और

सभी गर्भवती होने वाली माताओं के लिए टिटनस से रक्षा हेतु प्रतिरक्षण।

- स्वास्थ्य का चेक अप जिसमें गर्भवर्ती होने वाली माताओं की बच्चे के जन्म से पूर्व की देखरेख, दूध पिलाने वाली माताओं की देखरेख, नवजात शिशु की देखरेख तथा छह वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों की देखरेख।
- कुपोषण या बीमारी के गंभीर केसों को अस्पतालों, अपग्रेडिड पी एच सीज/सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं या जिला अस्पतालों को रेफर करना।
- 3 से 5 साल के आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल से पहले की अनौपचारिक शिक्षा।

प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1000 की आबादी और आदिवासी क्षेत्रों में 500-750 की आबादी को सेवा प्रदान करता है। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर सबसे निचले स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्रों और योजना को स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विभाग तथा अन्य विभागों के कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलाते हैं। उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं तथा वर्कर को 1000 रु० तथा हेल्पर को 500 रु० प्रतिमाह मानदेय भुगतान किया जाता है। सुपरवाइजर, सी डी पी ओज तथा दूसरे उच्च अधिकारी सरकारी कर्मचारी होते हैं।

अक्टूबर 2005 में आई सी डी एस योजना 30 साल पूरे कर लेगी। इसे प्रयोग के तौर पर 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 33 प्रोजेक्टों के साथ शुरू किया गया था। इसका मूल्यांकन समय समय पर कई एजेंसियों द्वारा किया गया है जिनमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल साइंसिज (ए आई आई एम एस) तथा नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड रिसर्च (एन सी ए ई आर) शामिल हैं और केंद्रीय सरकार की योजनाओं में इसे सर्वाधिक उपयोगी और सफल पाया गया है। इसके परिणामस्वरूप योजना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकांश ब्लॉकों तक फैलाया गया है। सरकार ने नौंवी योजना के दौरान इसे सर्वव्यापी बनाने का निर्णय लिया किंतु इस काम को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस योजना का विस्तार देश की पूरी आबादी के लिए किया जाए। इस समय (संसद में 20 जुलाई 2004 को दिए गए उत्तर के अनुसार) 30 अप्रैल 2004 को 5,652 आई सी डी एस प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है जिनमें से 5,267 चालू हैं। इन प्रोजेक्टों में 6 लाख आंगनवाड़ी केंद्र 3 वर्ष से कम उम्र के 1,75,44,796 बच्चों, 3 से 6 साल के 3,42,98,251 बच्चों और 76,47,934 गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं (कुल 4,39,46,185 लाभ प्राप्तकर्ताओं) के लिए पूरक पोषण प्रदान करते हैं। जब मंजूर किए गए सभी प्रोजेक्ट चालू हो जाएंगे तो आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ कर 7 लाख तक पहुंच जाने की उम्मीद है।

आई सी डी एस योजना के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं पार्टटाइम कर्मचारी हैं और उन्हें साढ़े चार घंटे काम करना होता है। आंगनवाड़ी केंद्र 4 घंटे चलते हैं। आंगनवाड़ी वर्करों को इसके अलाव आधे घंटे के लिए कुछ लाभ प्राप्तकर्ताओं के घरों का दौरा करने की भी जरूरत होती है। किंतु आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों के गांवों में सबसे निचले स्तर पर, खास तौर से महिलाओं और बच्चों के साथ संपर्कों को बहुत उपयोगी देखते हुए उनकी सेवाओं का उपयोग आई सी डी एस के अलावा विभिन्न दूसरे सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए किया जाता है। कुछ दूसरे काम जिनमें आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को लगाया जाता है वे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं जैसे डायोरिया और ओ आर एस, श्वांस के संक्रमण, क्षय रोग के लिए प्रत्यक्ष निरीक्षण चिकित्सा प्रणाली, एड्स की जानकारी, जन्म नियंत्रण के तरीकों के लिए प्रेरणा और शिक्षा आदि के बारे में जानकारी देना तथा शिक्षा विभाग से संबंधित काम जैसे पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, डी पी ई पी, अनौपचारिक शिक्षा आदि।

कुछ राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के स्थानीय महिलाओं से निकट संपर्क के कारण वे उन पर जोर डालते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनके साथ अस्पताल जाएं जब वे परिवार नियोजन के ऑपरेशनों, अपने बच्चों की बीमारी आदि के लिए अस्पताल जाती हैं। कुछ राज्यों में उन्हें लघु बचतों, समूह बीमा को प्रोत्साहित करने, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भविष्य निधि योजना में उस क्षेत्र के मजदूरों को लाने, स्वयं सहायता समूहों के गठन, वृद्धा अवस्था पेंशन के वितरण, बी पी एल परिवारों के लिए धोती-साड़ी वितरण, बी पी एल परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण करने, कुष्ठ रोग सर्वेक्षण, हाथीपांव बीमारी के सर्वेक्षण, पशुओं की गणना आदि कामों में शामिल किया जाता है जिनका आई सी डी एस से कोई संबंध नहीं है। उन्हें दी गई इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कमोबेश दिनभर काम करना पड़ता है। कुछ सरकारें उन्हें भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले मानदेय के अतिरिक्त कुछ पारिश्रमिक देती हैं जबकि कई राज्य उन्हें कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं करते।

आई सी डी एस के कामकाज पर किए गए सभी अध्ययनों ने शिशु मृत्यु दर में कमी, प्रतिरक्षण दरों में सुधार, स्कूल में भर्ती में बढ़ोतरी और स्कूल छुट जाने की दर में कमी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता प्रदान की है। आंगनवाड़ी केंद्रों तथा आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की सेवाओं का आंगनवाड़ी क्षेत्रों के बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए बड़ी संख्या में गैर आई सी डी एस सेवाओं को प्रदान करने में बढ़ते हुए उपयोग ने यह दिखाया है कि व्यवहार में आंगनवाड़ी केंद्र जनता के लिए उनके क्षेत्रों में विभिन्न सेवा प्रदान करने वाले प्रभावी केंद्र बन गए हैं।

चूंकि आई सी डी एस के माध्यम से प्रदान की जाने वाली

सेवाएं और आंगनवाड़ी केंद्रों से आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं और उन्हें महिलाओं व बच्चों के समन्वित और व्यापक विकास हासिल करने के लिए जारी रखने की जरूरत है, अब समय आ गया है कि आई सी डी एस योजना को अपग्रेड किया जाए और इसे एक नियमित विभाग में या सरकार के महिला और बाल विकास के हिस्से में बदला जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों को और भी मजबूत किया जा सकता है जहां से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तथा क्षेत्र में बच्चों और महिलाओं के आम विकास हेतु सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को चलाया जा सकता है। आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों जो ऐसी अनेक सेवाएं प्रदान करने में पहले ही कार्यरत हैं, को विभाग के कर्मचारियों के रूप में नियमित किया जाए और उन्हें सभी लाभ और सुविधाएं प्रदान की जाएं।

**सुझाव**

आंगनवाड़ी केंद्रों को क्रेचों और दिन में देखभाल के केंद्रों में विकसित करने के प्रस्ताव हैं ताकि क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं जैसे खेतमजदूरों तथा असंगठित क्षेत्र की दूसरी मजदूरों को अपने बच्चे शाम तक जब वे काम से वापस लौटती हैं वहां छोड़ने की सुविधा मिल सके। (श्रम पर दूसरे राष्ट्रीय आयोग ने भी इसी तरह के सुझाव दिए हैं) इससे क्षेत्र में बड़ी संख्या में कामकाजी महिलाओं को लाभ मिलेगा जो अपने बच्चों के लिए निजी क्रेचों का खर्च नहीं उठा सकतीं। इससे बच्चियों के स्कूल में भर्ती में सुधार आएगा और अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल के लिए स्कूल नहीं छोड़ना पड़ेगा। आंगनवाड़ी केंद्रों का समय सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। पकाया हुआ भोजन और नाश्ता आंगनवाड़ी केंद्रों जो दिन में देखभाल केंद्र भी होंगे, में बच्चों को दिया जा सकता है।

आंगनवाड़ी केंद्रों को क्षेत्र की महिलाओं के लिए मीटिंग स्थलों/सांस्कृतिक केंद्रों में विकसित किया जा सकता है ताकि वे दोपहर बाद जब वे खाली हों मीटिंग कर सकें। इस समय का उपयोग महिलाओं में अंधविश्वासों के खिलाफ जागरूकता पैदा करने / शिक्षा प्रदान करने और उनमें वैज्ञानिक समझ को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है; महिलाओं में साक्षरता बढ़ाने, महिलाओं के अधिकारों के बारे में, घरेलू हिंसा, सती, बाल विवाह, दहेज, यौन उत्पीड़न, चुडैलों के नाम पर हत्याओं, अस्पृश्यता तथा अनेक तरह के सामाजिक उत्पीड़नों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा दूसरी पिछड़ी जातियों के लोगों के खिलाफ भेदभावपूर्ण व्यवहार) आदि तथा बाल मजदूरी जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मौजूद है के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए भी उनका उपयोग किया जा सकता है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों को दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न आदि के केसों में कानूनी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

आंगनवाड़ी वर्करों को गर्भ संबंधी खतरों या आपात स्थितियों का पता लगाने और रेफर करने संबंधी उचित सेवाएं प्रदान करने, प्रथमोप्चार प्रदान करने तथा नवजात बच्चे की देखभाल, अपना दूध पिलाने आदि पर महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।

स्थानीय निकाय आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा प्रदान किए गए रिकार्डों को जन्म प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य के लिए वैध मान सकते हैं। उसी तरह प्राथमिक स्कूलों को निर्देश दिया जाए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेटों को आंगनवाड़ी छोड़कर स्कूल में दाखिल होने वाले बच्चों के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट माना जाए।

आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों को अंजाम देने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जा सकता है और समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स आयोजित किए जा सकते हैं।

उपरोक्त सुझाव के अनुरूप आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करने से यूपीए सरकार को ''महिलाओं के राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक और कानूनी शक्तिकरण के लिए'' राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किए गए वायदे को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

जब एक वैज्ञानिक सोच के साथ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ भविष्य वाली पीढ़ी का विकास करने का महत्व विचाराधीन हो तो इसके लिए फंड की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

चूंकि विभिन्न विभाग जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास विभाग आम तौर पर ये सेवाएं प्रदान करते हैं इन विभागों को महिला और बाल कल्याण विभाग हेतु अपने बजटों से फंड प्रदान करने चाहिएं। देश के मानव संसाधन विकास और देश की भविष्य में प्रगति के लिए बच्चों और महिलाओं के सामान्य विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को महिला व बाल विकास विभाग के लिए ज्यादा बजट निर्धारित करना चाहिए। जेंडर आधारित बजट निर्माण को प्रोत्साहित करने और महिलाओं के विकास के लिए पूरे धन का कम से कम 40 प्रतिशत आबंटित करने के निर्णय को भी लागू करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं और बच्चों के सामान्य विकास के लिए विभाग को पर्याप्त फंड प्रदान किए जाएं।

आई सी डी एस को महिला व बाल विकास विभाग का हिस्सा बनाए जाने और आंगनवाड़ी केंद्रों को महिलाओं और बच्चों के सामान्य विकास के लिए बहुमुखी सेवाएं प्रदान करने के लिए अपग्रेड किए जाने के साथ आंगनवाड़ी वर्करों की सेवाओं को ग्रेड-III (जूनियर एसिस्टेंट) पदों पर और हेल्परों की सेवाओं को ग्रेड-IV पदों पर नियमित किया जाए। और इसके लंबित रहते हुए उन्हें ग्रेड-III और ग्रेड-IV सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन अदा किया जाना चाहिए। □

# अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति ( सीटू ) की मांगें

ए आई सी सी डब्ल्यू डब्ल्यू (सीटू) एक ज्ञापन पर पूरे देश से अस्ताक्षर एकत्र करेगी। ज्ञापन को 17 नवंबर 2004 को प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। मांगें निम्नलिखित हैं;

1. किसी भी रूप में महिलाओं की छटनी पर रोक लगाओ। एक नीति के तौर पर महिलाओं के लिए और अधिक रोजगारों का सृजन करो।
2. केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के ठोस सुझावों को शामिल करते हुए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कानून बनाओ।
3. 15वीं आई एल सी की सिफारिशों के अनुरूप राष्ट्रीयन न्यूनतम वेतन निर्धारित करो और उसे सख्ती से लागू करो।
4. खेतमजदूरों के लिए एक व्यापक कानून बनाओ।
5. महिलाओं के लिए काम के लिए समान वेतन और समाज अवसर सुनिश्चित किए जाएं।
6. सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में प्रशिक्षण, प्रमोशन, तैनाती और सेवानिवृति के मामले में कोई भेदभाव न किया जाए।
7. असंगठित क्षेत्र और कृषि समेत सभी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ दिए जाएं।
8. सभी प्रतिष्ठानों में यौन उत्पीड़न पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सख्ती से लागू किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप शिकायत कमेटियों का गठन किया जाए। काम की जगह पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ तुरंत कानून बनाया जाए।
9. गृह आधारित मजदूरों पर आई एल ओ की कन्वेंशनों की पुष्टि की जाए और गृह आधारित मजदूरों के लिए एक कानून बनाया जाए।
10. रात में काम पर फिर से रोक लगाओ।
11. उन सभी को जिनकी छटनी कर दी गई है और जो रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं उनको बेरोजगारी लाभ दिए जाएं।
12. ई पी जेड और असंगठित क्षेत्र समेत सभी कामकाजी महिलाओं के लिए 8 घंटे के काम को सख्ती के साथ लागू किया जाए। जब कभी उनसे अधिक घंटे काम कराया जाता है तो उन्हें ओवर टाइम भुगतान किया जाए।
13. काम की जगह के नजदीक क्रेचों की सुविधा प्रदान की जाए। कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चों को दूध पिलाने का समय दिया जाए।

के हेमलता द्वारा आल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स के लिए, ए-13, राऊज एवेन्यू नई दिल्ली -2 से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-95 से मुद्रित